



डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

(पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पृथक-पृथक से देवे)
पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र
मुख्य परीक्षा 201.....

प्रति,

कुलसचिव,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
सागर (म.प्र.) 470003

कक्षा
परीक्षा केन्द्र
परीक्षा केन्द्र कोड
रोल नं.
नामांकन क्रमांक.....
परीक्षार्थी का नाम
पिता/पति का नाम.....

सेमेस्टर परीक्षार्थियों के लिये पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं है। पृष्ठ क्रमांक "2" पर दिये पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्गणना के नियमों का सूक्ष्म तथा गंभीरता से अध्ययन करें तत्पश्चात् पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का फार्म भरें।

महोदय,

मैं मुख्य परीक्षा सत्र 20..... में सम्मिलित हुआ था। घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार नीचे लिये विषय/ग्रुप प्रश्नपत्र में मुझे अपेक्षा से कम अंक प्राप्त हुये है कृपया संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना करवाने का कष्ट करें।

विषय/ग्रुप	प्रश्नपत्र क्रमांक	प्रश्न पत्र कोड	प्राप्तांक	यदि पुनर्मूल्यांकन करवाया है तो उसका विवरण			घोषित परीक्षा परिणाम
				विषय	प्रश्न पत्र	अंक	
				1.....	
				2.....	

पुनर्मूल्यांकन शुल्क रूपये का एस.बी.आई. पावर ज्योति चालान खाता क्रमांक 32000156472 की प्रति का क्रमांक..... बैंक का नाम दिनांक का संलग्न है की राशि भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में चालान के माध्यम से जमा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य चालान/बैंक ड्राफ्ट/चैक मान्य नहीं होगा। चालान विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dhsgsu.ac.in पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना संबंधी सभी नियम जो इस पृष्ठ के पीछे हैं मुझे मान्य होंगे। विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। इसके लिये कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

नोट :- आवेदक प्रश्नपत्र कोड तथा केन्द्र कोड संलग्न प्रपत्र में देखकर भरें।

संलग्न :- 1. अंकसूची का छायाप्रति।

2. एस.बी.आई. पावर ज्योति चालान खाता क्रमांक 32000156472 की प्रति।

3. स्वयं का पता लिख हुआ लिफाफा जिस पर 6=00 का टिकिट लगा हो।

4. उक्त तीनों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

.....
आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक...../...../.....

पत्र व्यवहार का पूरा पता :-

..... फोन नं

पिन कोड नं.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन-पत्र जमा करने की पावती
मुख्य परीक्षा वर्ष 20.....

कक्षा छात्र/छात्रा का नाम अनुक्रमांक

नामांकन क्रमांक केन्द्र का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

दिनांक

लिपिक के हस्ताक्षर

पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना संबंधी नियम

1. पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना आवेदन – पत्र मुख्य परीक्षा 20..... की अंकसूची शिक्षण विभाग / महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को प्राप्त तिथि से 15 दिनों तक स्वीकार किये जायेंगे। अध्यादेश 6 की कंडिका 26(1) के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ महाविद्यालय से अंकसूची प्राप्त करना छात्र की जिम्मेवारी होगी। अवधि बीत जाने पर आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. अधिकतम दो प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जा सकेगा।
3. प्रायोगिक उत्तरपुस्तिका/आंतरिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका/क्षेत्रीय कार्य की रिपोर्ट लघुशोध प्रबंध के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
4. पुनर्मूल्यांकन हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है। एक प्रश्न पत्र की उत्तरपुस्तिका हेतु 200=00 रुपये मात्र। दो प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिका हेतु 400=00 रुपये मात्र। दो से अधिक पु.मू. की पात्रता नहीं होगी।
5. पुनर्गणना हेतु शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है। एक प्रश्न पत्र की उत्तरपुस्तिका हेतु 20=00 रुपये मात्र। एक से अधिक प्रश्न पत्रों की उत्तरपुस्तिका हेतु 100=00 रुपये मात्र।
6. अपूर्ण एवं भ्रामक आवेदन पत्र विचार नहीं किया जावेगा और ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
7. आवेदन के साथ मूल अंकसूची संलग्न न करें, उसकी छायाप्रति ही संलग्न करें।
8. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना की जानकारी के लिये पत्राचार न करें, परिणाम घोषित होने पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न लिफाफे में सूचना दी जाएगी।
9. विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। इसके लिये किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
10. पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम की प्रतीक्षा कि कारण आगामी पूरक/मुख्य परीक्षाओं के लिये परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि में छूट की सुविधा नहीं दी जायेगी।
11. ड्यूज के कारण रोकी गई अंकसूची या रोके गये परिणाम के फलस्वरूप पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र जमा करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
12. एक से अधिक आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं जमा किया शुल्क वापिस नहीं होगा।
13. ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा में पूरक/बैकलॉग परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हुये हैं उन्हें पुनर्मूल्यांकन की पात्रता नहीं होगी। परन्तु विधि एवं फार्मसी के छात्रों को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा यथावत रहेगी।
14. नकल से संबंधित छात्र/छात्राओं को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं होगी।
15. आवेदन पत्र की छायाप्रति स्वीकार नहीं की जावेगी।
16. पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना के फार्म एक ही समय में जमा किये जावेंगे। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
17. फीस निर्धारित पावर ज्योति चालान से एस.बी.आई. खाता क्रमांक 32000156472 द्वारा सीधे एस.बी.आई. की किसी भी शाखा में जमा की जा सकती है।
18. ड्राफ्ट किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।